अनुसूची 14– फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... ता0 ....से ....तक

जिला – राँची।

केस का प्रकार– विविध वाद संख्या 02/2021–22.

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी ता0 सहित
20/5/21	राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा मौजा नेवरी खाता संख्या 70 प्लॉट संख्या 1088 रकबा 8.66 डी० भूमि का नामांतरण वाद संख्या 8563/2020-21 द्वारा कायम जमाबंदी को निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें उल्लेखित है कि मौजा नेवरी खाता संख्या 70 प्लॉट संख्या 1088 रकबा 8.66 डी० भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा पूर्व में दाखिल खारिज वाद संख्या 2496/2020-21 एवं 2552/2020-21 आवेदन किया गया था। उक्त दोनों ही दाखिल खारिज वाद में आवेदक ईस्माईल अंसारी द्वारा दो अलग–अलग आपत्ति दर्ज की गई थी। जिसपर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त वादों को अस्वीकृत कर दिया गया था। परन्तु कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा तिसरी बार भी अंचल कार्यालय, काँके ऑनलाईन दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 आवेदन किया गया। विदित हो कि ऑनलाईन दाखिल–खारिज करने में ऐसी कोई विकल्प नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उक्त व्यक्ति नामांतरण पूर्व में रद्द हो चुका है। आपत्तिकर्ता ईस्माईल अंसारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 में आपत्ति दायर नहीं किया गया था। जिस कारण दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 स्वीकृत होकर मौजा नेवरी के पंजी ।। के भाग संख्या 11 पृष्ट संख्या 21 में दर्ज हो गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 द्वारा कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 में ऑनलाईन पंजी ।। के भाग संख्या 11 पृष्ठ संख्या 21 में कायम जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित 20/5/21 अंचल अधिकारी काँके, राँची। 20/04/21 अंचल अधिकारी काँके, राँची।	

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषय : दाखिल–खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 को रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि मौजा नेवरी खाता संख्या 70 प्लॉट संख्या 1088 रकवा 8.66 डी० भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा पूर्व में दाखिल खारिज वाद संख्या 2496/2020-21 एवं 2552/2020-21 आवेदन किया गया था। उक्त दोनों ही दाखिल खारिज वाद में आवेदक ईस्माईल अंसारी द्वारा दो अलग–अलग आपत्ति दर्ज की गई थी। जिसपर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उपरोक्त वादों को अस्वीकृत कर दिया गया था। परन्तु कृष्ण कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा तिसरी बार भी अंचल कार्यालय, काँके ऑनलाईन दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 आवेदन किया गया। विदित हो कि ऑनलाईन दाखिल–खारिज करने में ऐसी कोई विकल्प नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उक्त व्यक्ति नामांतरण पूर्व में रद्द हो चुका है। आपत्तिकर्ता ईस्माईल अंसारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 में आपत्ति दायर नहीं किया गया था। जिस्त कारण दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 स्वीकृत होकर मौजा नेवरी के पंजी ।। के भाग संख्या 11 पृष्ट संख्या 21 में दर्ज हो गया।

अतः दाखिल खारिज वाद संख्या 8563/2020-21 द्वारा कायम जमावंदी को आपत्तिकर्ता ईस्माईल अंसारी के द्वारा पूर्व में समर्पित आपत्ति के आलोक में रद्द करने कि अनुशंसा की जाती है।

1.25
20/4/21

विश्वासभाजन

20/04/21
राजस्व उप निरीक्षक,
हल्का संख्या IX
अंचल कार्यालय,
काँके।

अंचल निरीक्षक,
काँके, राँची।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:01:56 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner